राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1138/2010/जयपुर

मैसर्स मुकेश फ्रेट केरियर्स,
दिल्ली।
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–द्वितीय, राज, जयपुर
.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक
.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक।
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–द्वितीय, राज. जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) में आरोपित शास्ति राशि रुपये 77,264/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने दिनांक 25.06.1997 को वाहन संख्या HR-38B-5149 को राष्ट्रीय राजमार्ग कोठपुतली पर चैक किया। वक्त चैकिंग परिवहनित माल दिल्ली से लाया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर अपीलार्थी व्यवहारी ने माल के साथ वांछित दस्तावेज बिल, चालान व बिल्टी पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों को सन्देहास्पद व एक ही हस्तलिपि द्वारा बनाये गये माना जाकर तथा प्रेषक व प्रेषिति के पूर्ण नाम व पते अंकित नहीं होने के कारण, पंजीयन क्रमांक भी सन्देहास्पद माने जाने के कारण धारा 77(1) के लिये दिनांक 30.06.1997 हेतु नोटिस जारी किया गया। दिनांक 24.06.1997 को ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रबन्धक ने उपस्थित होकर माल के भौतिक सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया, परन्तु माल के प्रेषक, प्रेषिति व पंजीयन क्रमांक के सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में असमर्थता प्रकट की। इसके फलस्वरुप सशक्त अधिकारी द्वारा वाद का निष्पादन करते हुये रूपये 1,98,974/– के माल पर 30 प्रतिशत, रुपये 66,920/– रुपये के माल पर 20 प्रतिशत तथा 41,888/– के माल पर 10 प्रतिशत कुल राशि रूपये 77,264/– शास्ति आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

क्रमशः.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि जब माल प्रेषक व प्रेषिति के नाम, पते एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि अंकित थे, तो उसके पश्चात् भी सशक्त अधिकारी द्वारा कार्यवाही किया जाना अनुचित है। सशक्त अधिकारी द्वारा मात्र कम्प्यूटर पर जांच पड़ताल किया जाना आदेश में अंकित किया है लेकिन विपरीत तथ्य जुटाये जाने के सम्बन्ध में ट्रांसपोर्ट कम्पनी को कोई सूचना नहीं दी गई न ही प्रेषक व प्रेषिति के व्यवसाय स्थल पर जाकर कोई जांच की गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि हस्तलिपि एक ही व्यक्ति के द्वारा मानी जाना भी केवल परिकल्पना के आधार पर लिखी हुई युक्ति है। इस सम्बन्ध में हस्त विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट विभाग के द्वारा पत्रावली पर नहीं ली गई। मात्र संदेह के आधार पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही अनुचित है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन–III, जयपुर बनाम करतार सिंह का दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपण किया जाना अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रबन्धक द्वारा नोटिस दिनांक 01.07.1997 के प्रतिउत्तर में ही लिखित रुप से स्वीकार किया जो निम्न है:– **"करवंचना नियत से ही फर्जी बिल व बोगस फर्म के नाम से माल परिवहनित किया गया है। जिसमें मै माल भेजने व पाने वाले फर्म के पंजीयन नं. सत्यापित नहीं करा सकता हूँ। तथा नोटिस में लगाये गये आक्षेप स्वीकार करता हूँ। तथा मै नियमानुसार शास्ती देने को तैयार हूँ।"** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रेषक व प्रेषिति का सत्यापन नहीं करवाया गया, एवं फर्जी बिल व बोगस फर्म के नाम से माल का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष